



राँची विश्वविद्यालय,
राँची

पत्रांक GE/28/24

दिनांक 20/03/24

सेवा में,
निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय - एन०एन० घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जमुआर, काँके, राँची को बी०एड० पाठ्यक्रम में तीन सत्रों (2024-2026, 2025-2027 एवं 2026-2028) के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय में संबद्धता में निदेशानुसार सूचित करना है कि पूर्व में एन०एन० घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जमुआर, काँके, राँची के संबंधन दीर्घीकरण हेतु सत्र 2024-2026 के लिए प्रस्ताव सम्पूर्ण कागजातों सहित निदेशालय को भेजा गया था। यह प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के पास लम्बित है। आपके पत्र, पत्रांक 443 दिनांक 15.03.24 एवं परिनियम में उल्लेखित तीन सत्रों के संबद्धता देने के प्रावधान के आलोक में आग्रह करना है कि एन०एन० घोष सनातन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जमुआर, काँके, राँची को सत्र 2024-2026, 2025-2027 एवं 2026-2028 (तीन सत्रों) के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण देने पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर विश्वविद्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथाउपरोक्त।

राँची विश्वविद्यालय
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
20/03/24

विश्वासभाजन

कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाऊस, बोखडा, राँची -834002

प्रेषक,

रामनिवास यादव,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राँची विश्वविद्यालय, राँची,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग,
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

राँची, दिनांक

विषय:- बी० एड० महाविद्यालयों को बी०एड० पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन Statute में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य के छह विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड०/एम०एड०/बी०पी०एड० पाठ्यक्रम हेतु शक्षणिक सत्र 2024-26, 2025-27 एवं 2026-28 के लिए कंडिका-3 में अंकित शर्तों के अधीन निम्नवत रूप से अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	विषय	समिति की अनुशंसा
राँची विश्वविद्यालय, राँची				
1	एन०एन० घोष टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग:				
1	नरसिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खपरियावाँ, हजारीबाग	2024-26 एवं 2025-27	बी०एड०	स्वीकृत
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका				
1	शिवम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रेखीया, देवघर	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत
2	तोकीपुर बी०एड० कॉलेज, तोकीपुर, दुमका	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत
3	पाकुड़ बी०एड० कॉलेज, पाकुड़	2024-26, 2025-27 एवं 2026-28	बी०एड०	स्वीकृत

शर्त:-

- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

- iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घाकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई०/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्यवाई की जाएगी।
- vi. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबंधित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापक :- DHEsec2/संबंधन-27/2020/HTE8D-/ 662

राँची, दिनांक- 08/05/2024

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी बी०एड० महाविद्यालय, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा